छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिला सरपंचों के निर्वाचन संबंधी व्यवहारों का अध्ययन

डॉ श्रीकांत प्रधान,
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), डॉ. खूबचंद बघेल शास.स्नातकोतर महा. भिलाई-3

शोध सारांश - कौटिल्य एवं मार्क्स शासक हेतु साधन से अधिक महत्वपूर्ण साध्य या साधन को मानते हैं तथा साधिके प्राप्ति हेतु किसी भी साधन को अपनाने का सलाह देते हैं। किंतु महात्मा गांधी साध्य जितना ही साधन की पवित्रता को अनिवार्य मानते हैं क्योंकि एक की अपवित्रता दुसरे को नष्ट कर देती है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत के अनेक समस्याओं के लिए निर्वाचन के समय सरपंचों द्वारा अपनाएं गए अनैतिक हथकंडे भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। प्रस्तुत शोध में छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत राज के तहत धूर आदिवासी जिला बस्तर के 2019 के पंचायत चुनाव में निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंच के निर्वाचन व्यवहार का सर्वेक्षणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन में सामान्य ग्राम पंचायत के निर्वाचन की तरह अनैतिक हथकंडे अपनाने संबंधी तथ्य सामने आते हैं । राजनीतिक समाजीकरण के रूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य बकरा भात(मटन चावल) पार्टी द्वारा वोट देने संबंधी सामूहिक निर्णय सामने सामने आता है जो लोकतंत्र एवं ग्राम पंचायतों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। पंचायत राज के स्थान के निर्वाचन में पक्षपातपूर्ण एवं अनैतिक निर्वाचन हेतु जिम्मेदार समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव भी शोध पत्र में प्रस्तुत हैं।

परिचय - कौटिल्य के अनुसार साध्य (उद्देश्य) ठीक होना चाहिये, साधन चाहे कैसे भी हो। साधन ही साध्य का निर्माण करता है। मार्क्सवाद भी 'साध्य ही साधन की औचित्यता है' पर आधारित है। किंतु गांधी जी साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे कि साध्य और साधन एक दूसरे से चोली और दामन की तरह सम्बद्ध हैं और एक की अपवित्रता दुसरे को भी भ्रष्ट कर देती है। अतः यदि आपका साध्य उत्तम है तो उसे प्राप्त करने का साधन भी उत्तम हो अन्यथा बुरे साधनों द्वारा प्राप्त हुए अवगुण उसकी उत्तमता की फीका कर देगा। इस सिद्धान्त को राजनीति व शासन के क्षेत्र में लागू करे तो गांधी जी चाहते थे कि शासको के उद्देश्य के साथ उनको प्राप्त करने के साधन मी उत्तम एवं पवित्र हो। वर्तमान पतनशील राजनीतिक मूल्यों के वातावरण में शासकों के साध्य 'स्वार्थ' हो गये है और उसे प्राप्त करने के साधन 'साम-दाम-दण्ड-भेद' ही रह गये है। ऐसे में साध्य साधन की पवित्रता कहाँ तक संभव है ? विशेष रूप से इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो महात्मा गांधी के पंचायती राज के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और इसकी सफलता इस साध्य साधन की पवित्रता पर निर्भर है।

शासन एवं प्रशासन में इस साध्य-साधन की पवित्रता का सिद्धान्त सर्वप्रथम नेतृत्वकर्ताओं पर लागु होती है। एक लोकतांत्रिक राज्य के शासन का नेतृत्व जन निर्वाचित प्रतिनिधि करते है।

लोकतंत्र का आधार इनका निष्पक्ष निर्वाचन होता है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि तभी ईमानदारी एवं नैतिकता पूर्वक शासन चला सकता है जब वो बिना अनैतिक साधन अपनाए चुनाव जीत कर आया हो। आज चुनावों के समय प्रत्याशियों द्वारा जो अनैतिक हथकंडे (विरोधी प्रत्याशी पर मिथ्यारोप, पैसा व शराब बांटना, अपहरण, कूटनीति द्वारा विरोधी प्रत्याशियों को बैठने या नाम वापस लेने के लिए मजबूर करना) अपनाया जाता है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के हथकंडे अपनाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की भलाई की बात सोचना भी बेमानी है। यह दूषित प्रवृत्ति जब पंचायत चुनावों में भी देखने को मिलती है और जनता का वोट **'चेपटी वोट' (200 ml शराब की बोतल)** में परिवर्तित हो रहा है। जनता ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो उन्हें कुछ तात्कालिक लाम दे । इस अनैतिक निर्वाचन के कारण जहाँ लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, वहीं भ्रष्ट्राचार सहित अन्य समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। गांव के विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका निष्प्रभावी होने का एक प्रमुख कारण खर्चीला, अनैतिक एवं दूषित निर्वाचन व्यवस्था भी है ।

शोध का उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश छत्तीसगढ़ के सुदूर जिला एवं आदिवासी जिला बस्तर के निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंच के निर्वाचन संबंधी व्यवहार का अध्ययन कर ग्राम पंचायत की उन समस्याओं को चिन्हित करना है जो इस दुषित चुनाव व्यवस्था के परिणाम होते हैं और इनके समाधान के उपाय हेतू सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिला बस्तर है, जो भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में चिन्हित है। इस जिले में 636 ग्राम, 433 ग्राम पंचायते, 07 जनपद पंचायतें एवं एक जिला पंचायत कार्य कर रही है। इन सभी निकायों के सभी निर्वाचित पद अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

शोध प्रविधियां - छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 के पंचायत चुनाव में बस्तर जिले के निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंचो के निर्वाचन संबंधी व्यवहार का सर्वेक्षणात्मक तथ्यात्मक व्यवहारपरक अध्ययन के लिए निदर्शन तकनीक, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण प्रणाली द्वारा तथ्य संकलित कर उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण काल 2019-20 के पंचायत चुनाव के एक वर्ष पश्चात 2021- 22 है। बस्तर जिले के 7 जनपदों में कुल 636 ग्राम, 433 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सरपंच पदो की संख्या 218 है। इस शोध कार्य हेतु महिला सरपंच पद का 50% अर्थात 111 महिला सरपंचों का चयन विकासखण्डवार देव निदर्शन की लाटरी विधि से किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में महिला सरपंचों के निर्वाचन व्यवहार संबंधी प्रश्न- सरपंच बनने के कारणों, चुनाव जीतने हेतु अपनायें गये तौर तरीकों - उपहार बांटने, शराब बांटने, बकरा भात का पार्टी करने, बाहुबल का उपयोग करने, कूटनीति करने, सरपंच निर्वाचन हेतु किए गए खर्च की राशि एवं इस हेतु धन की व्यवस्था करने, सरपंच निर्वाचन हेतु किए गए खर्च की राशि वसूल करने संबंधी प्रश्न शामिल थे। निदर्शन में शामिल महिला आदिवासी सरपंचों के निर्वाचन संबंधी व्यवहार पर साक्षात्कार के द्वारा संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया गया

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

है। सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंचों की संख्या विकासखंड अनुसार (तालिका क्र.-1) में प्रदर्शित है –

तालिका क्र.-1

क्र.	विकासखंड	ग्राम पंचायत की संख्या	महिला आरक्षित ग्राम पंचायत की संख्या	निदर्श में शामिल महिला सरपंच की संख्या
1	बस्तानार	34	17	09
2	तोकापाल	54	26	13
3	दरभा	46	23	12
4	लोहाण्डीगुड़ा	49	25	13
5	जगदलपुर	71	36	18
6	बकावंड	93	47	24
7	बस्तर	88	44	22
	योग	433	218	111

परिकल्पना- 73 वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण विकास के निर्णय प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गो को शामिल करने के साथ महिलाओं की एक तिहाई राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। 2008 से छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों में सभी वर्ग की महिलाओं हेतु 50% पद आरक्षित हैं। ऐसे में जिज्ञासा पैदा होती है कि अन्य पुरुष सीटों वाले निर्वाचन की तरह ये महिला पंचायत प्रतिनिधि भी चुनाव के समय गलत हथकंडे अपना कर निर्वाचित हुई हैं या अपने नेतृत्व के बुते ? एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हो सकता है किंतु छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी जिला बस्तर के महिला आरक्षित ग्राम पंचायत निर्वाचन 2019-20 के बारे में **परिकल्पना** कि **'यहाँ के महिला सरपंच बिना अनैतिक हथकंडे को अपना कर निर्वाचित हुई होंगी।'** इसका कारण यह कि इस क्षेत्र के लोग आधुनिकता से दूर, साधारण स्वभाव के एवं गरीबी में जीवन यापन करने वाले है।

सर्वेक्षण में शामिल महिला सरपंचों की वार्षिक आय (रूपये में)- **तालिका क्र.-2** का विश्लेषण करने पर गरीबी रेखा(1,059.42 रुपये प्रति माह) के नीचे जीवन यापन करने वाले सरपंचों की संख्या 23(20.72%), 12000 से 20000 तक 9(8.10%), 21000 से 30000 तक 23(20.72%), 31000 से 40000 तक 34(30.63%), 41000 से 50000 तक 21(18.91%) एवं 51000 से अधिक आय वाले सरपंच की संख्या मात्र 1(0.9%) है।

तालिका क्र.-2

वार्षिक आय (रूपये में)	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या	
	संख्या	%
गरीबी रेखा के नीचे	23	20.72

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

12000 से 20000	09	8.10
21000 से 30000	23	20.72
31000 से 40000	34	30.63
41000 से 50000	21	18.91
51000 से अधिक	01	0.9
योग	111	100

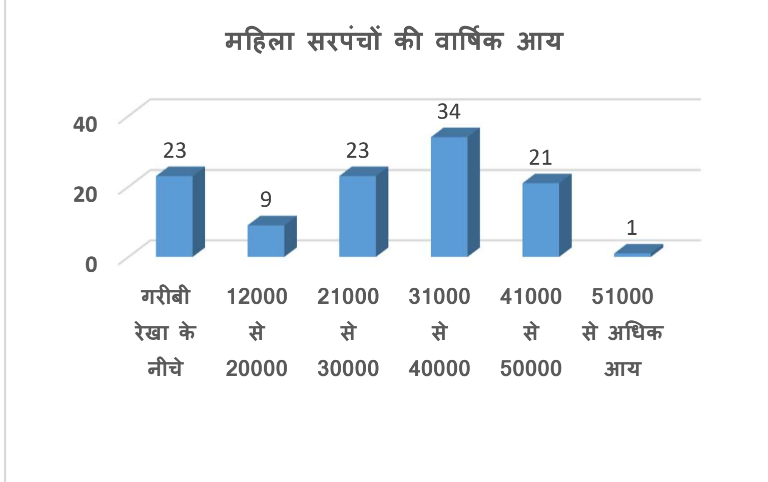

सरपंच बनने के पिछे निहित कारण

महिलाओं का सामाजिक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक कारगर कदम है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं परिवार एवं समाज में अत्यधिक संवेदनशील होती है, अतः महिलाएँ यदि जनप्रतिधित्व का पद संभालती है तो सिद्धान्ततः वह लोगों के साथ पुरुषों की तुलना में अधिक न्याय करेंगी। **तालिका क्र.-3 के अनुसार** राजनीति में आने का कारण या सरपंच बनने के पिछे निहित कारण में **30(27.07%) बेरोजगारी** के कारण, **16(14.41%) दूसरे के कहने पर**, **18(16.21%) राजनीतिक परिवार से संबंध** रखने के कारण, **15(13.51%), आजीविका** के रूप में के रूप में एवं **32(28.82%) बिना किसी योजना** के सरपंच बन गए। बेरोजगारी, दूसरे के कहने पर एवं बिना किसी योजना के सरपंच बनने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 78 (70.27%) है जो कुल उत्तरदाताओं का लगभग 1/4 होता है।

तालिका क्र.-3

सरपंच बनने के कारण	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या	
	संख्या	%
बेरोजगारी	30	27.07
दूसरे के कहने पर	16	14.41
राजनीतिक परिवार से संबंध रखने के कारण	18	16.21
आजीविका के रूप में के रूप में	15	13.51
बिना किसी योजना के	32	28.82
योग	111	100

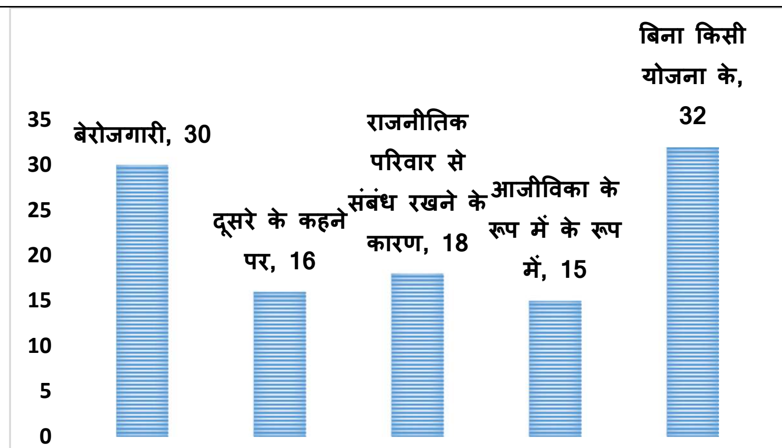

इन विश्लेषणों से स्पष्ट है कि अधिकांश **78 (70.27%)** महिला सरपंच बिना किसी योजना के या सोचे समझे बगैर चुनाव जीतकर सरपंच बने है। अतः ऐसे सरपंच जनता की सेवा एवं गाँव का विकास करने में कैसे प्रभावशाली साबित होंगे, जब उनके पास कोई भावी योजना ही नहीं है?

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

चुनाव जीतने के कारण - बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अब प्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए कई प्रकार के विधियों, नैतिक-अनैतिक साधनों का प्रयोग करते है और जनता भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते समय उनसे बहुत सारी तात्कालिक आर्थिक लाभ की अपेक्षा रखती है। ऐसे में वास्तविक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता, बल्कि चुनाव के समय विभिन्न प्रकार से प्रभावशाली व्यक्ति का चुनाव मतदाता द्वारा कर लिया जाता है।

'आप चुनाव कैसे जीती हैं ?' इस प्रश्न पर **तालिका क्र.-4 के अनुसार 22 (19.81%) महिला सरपंचों ने समाज सेवा, 31 (27.92%) नें व्यक्तिगत छवि, एवं 45 (40.54%) नें धन का उपयोग कर (नकद , शराब बांटने, बकरा भात पार्टी आयोजित करने, उपहार- साड़ी, बिछिया, टिकली आदि बांटने) एवं 13 (11.71%) ने बाहुबल का उपयोग कर चुनाव जीतने की बात स्वीकार** किया है।

तालिका क्र.-4

चुनाव जीतने के कारण	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या		
	संख्या 1	संख्या 2	संख्या 1का%
समाज सेवा	22	13	19.81
व्यक्तिगत छवि	31	28	27.92
धनबल	45	00	40.54
बाहुबल	13	00	11.71
योग	111	41	100

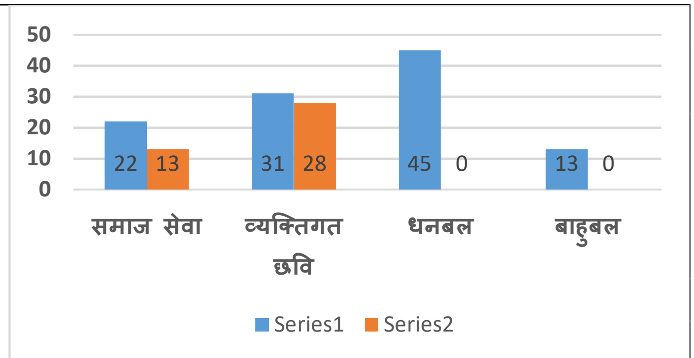

व्यक्तिगत छवि के कारण चुनाव जीतने **वाले 31 आदिवासी महिला सरपंचों में से 28 ने माना की व्यक्तिगत छवि के साथ-साथ धन का भी उन्होंने उपयोग** किया है जो कि सरपंच चुनाव लड़ने वाले अन्य प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च से कम है। केवल **व्यक्तिगत छवि से चुनाव जीतने वालों की संख्या महज 03** है। **समाज सेवा के कारण चुनाव जीतने वाले सरपंचों में से 13 का भी मानना है कि समाज सेवा के बाद भी उन्होंने चुनाव** में धन खर्च किया है। चुनाव जीतने हेतु धन बांटने वाले 45 आदिवासी महिला सरपंचों के साथ व्यक्तिगत छवि के साथ धन बांटने वाले 28 सरपंच एवं समाज सेवा के साथ धन खर्च करने वाले 13 सरपंच की संख्या को जोड़ दें तो **धन खर्च कर चुनाव जीतने वाले सरपंचों की कुल संख्या 86 (77.47 %)** हो जाती है।

'क्या अपने चुनाव जीतने के लिए कूटनीतिक उपाय का भी प्रयोग किया है ?' **तालिका क्र.-5 के अनुसार** इस प्रश्न पर **67(60.36%) महिला सरपंचों** ने **हां** कहा एवं **44 (39.63%)** ने **नहीं** कहा।

तालिका क्र.-5

चुनाव जीतने के लिए कूटनीतिक उपाय का प्रयोग किया	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या	
नहीं	44 (39.63%)	

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

हां	67(60.36%)	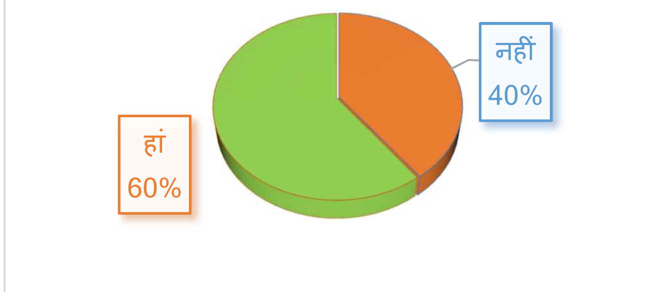
योग	111 (100%)	

'यदि कूटनीतिक तरीका अपनाया तो किन-किन कूटनीतिक तरीकों का उपयोग आपने किया था ?' इस प्रश्न पर **विरोधी प्रत्याशी को नाम वापस लेने के लिए दबाव एवं लालच दिया 22 (32.83%), नाम वापसी तिथि पश्चात विरोधी प्रत्याशी को बैठने के लिए, मनाने प्रचार नहीं करने एवं इस हेतु धन या अन्य लालच देने 15 (22.38%) सशक्त विरोधी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार हेतु अन्य प्रत्याशी को धन एवं समर्थन देने 17 (25.37%)** और **बाहुबल के दम पर अन्य प्रत्याशी को नाम वापस लेने, नाम वापसी की तिथि के पश्चात पीछे हटने या बैठने, चुनाव प्रचार नहीं करने के लिए दबाव बनाना 13(19.40%) की बात (तालिका क्र.-6 के अनुसार) महिला सरपंचों ने स्वीकार** किया है।

तालिका क्र.-6

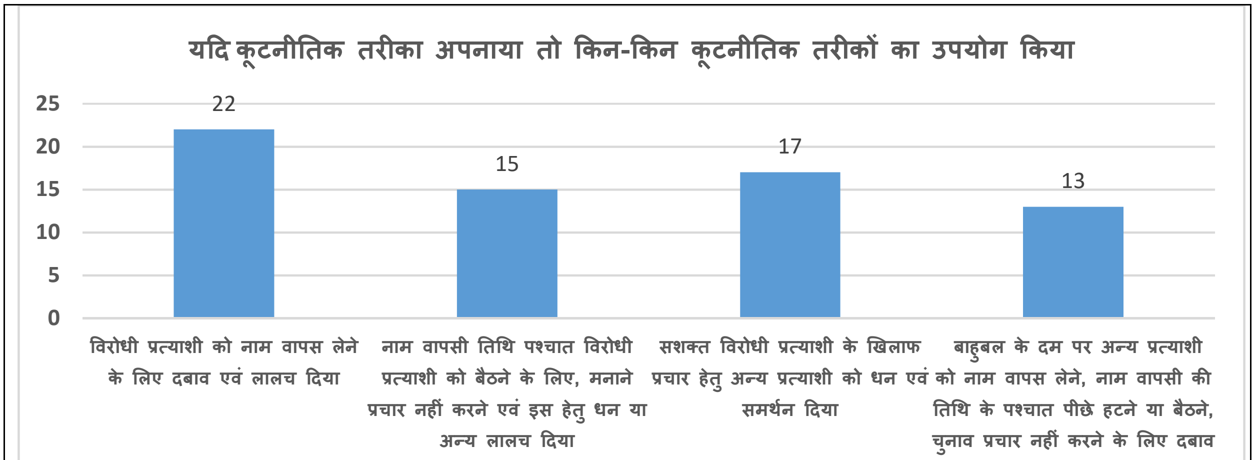

'क्या चुनाव जीतने के लिए आपने उपहार बांटा या बंटवाया था ?' तालिका क्र.-7 के अनुसार इस प्रश्न पर **97 (87.38%) महिला सरपंच** उपहार में नकद, शराब , साड़ी बिछिया टिकली आदि बांटने की बात स्वीकार करती है एवं **14 (12.61%)** किसी भी प्रकार के उपहार, नकद, शराब आदि बांटने से इंकार करती है।

तालिका क्र.-7

क्या चुनाव जीतने के लिए आपने उपहार बांटा या बंटवाया	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या	
नहीं	14 (12. 61%)	
हां	97 (87. 38%)	

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

योग	**111 (100%)**	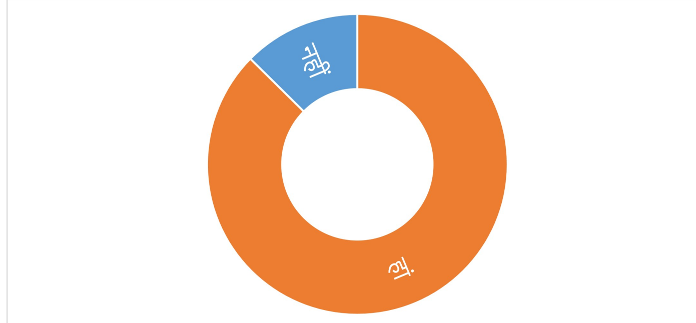

'चुनाव जीतने के लिए आपने उपहार में क्या-क्या बांटा या बंटवाया था ?' इस प्रश्न पर **तालिका क्र.-8 के अनुसार केवल नकद बांटने वाले महिला सरपंचों की संख्या 00 केवल शराब बांटने वाले निर्वाचित होने वाली महिला सरपंचों की संख्या 03 (3.09%), केवल उपहार बांटने वाले महिला निर्वाचित होने वाले सरपंचों की संख्या 00** एवं आवश्यकतानुसार **नकद - उपहार - शराब तीनों बांटकर चुनाव जीतने वाले सरपंचों की संख्या 94 (96.90%)** है।

तालिका क्र.-8

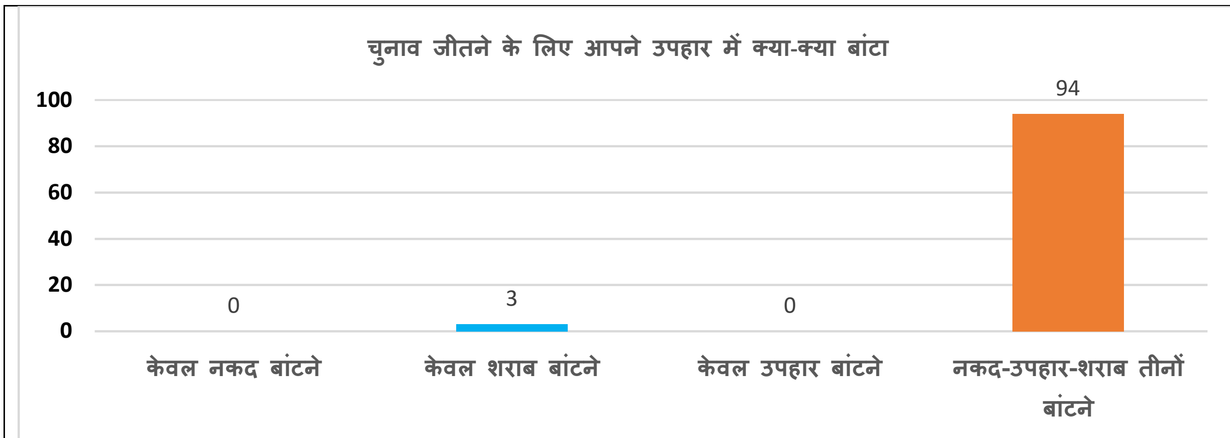

'क्या आपने चुनाव के समय शराब बांटा या बंटवाया था ?' इस प्रश्न पर 97 (87.38%) आदिवासी महिला सरपंचों ने **हां** कहा और **14 (12.61%)** ने **नहीं** कहा। **(तालिका क्र.-9 के अनुसार)**

तालिका क्र.-9

चुनाव के समय शराब बांटा या बंटवाया	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या	
नहीं	14 (12. 61)	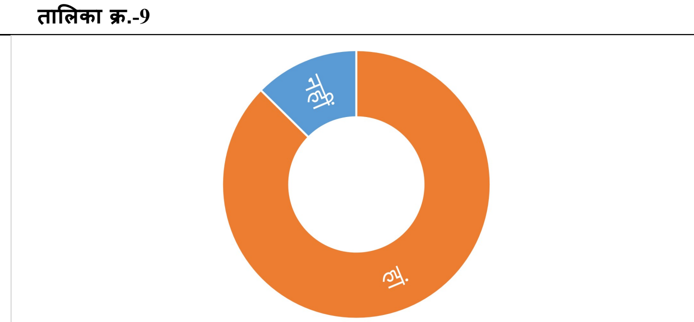
हां	97 (87. 38)	
योग	111 (100%)	

'आपने चुनाव के समय शराब कब से कब तक बांटा या बंटवाया ?' इस प्रश्न पर **तालिका क्र.-10 के अनुसार नामांकन दाखिल करने के पूर्व से परिणाम घोषित होने तक** शराब बांटने वाले महिला सरपंचों की संख्या **17 (17.52%), नामांकन दाखिल करने की तिथि के समय से परिणाम**

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

घोषित होने तक शराब बांटने वाले महिला सरपंचों की संख्या **28 (28.86%), प्रचार अवधि से चुनाव परिणाम घोषित होने तक** शराब बांटने वाले महिला सरपंचों की संख्या **52 (53.60%)** है ।

तालिका क्र.-10

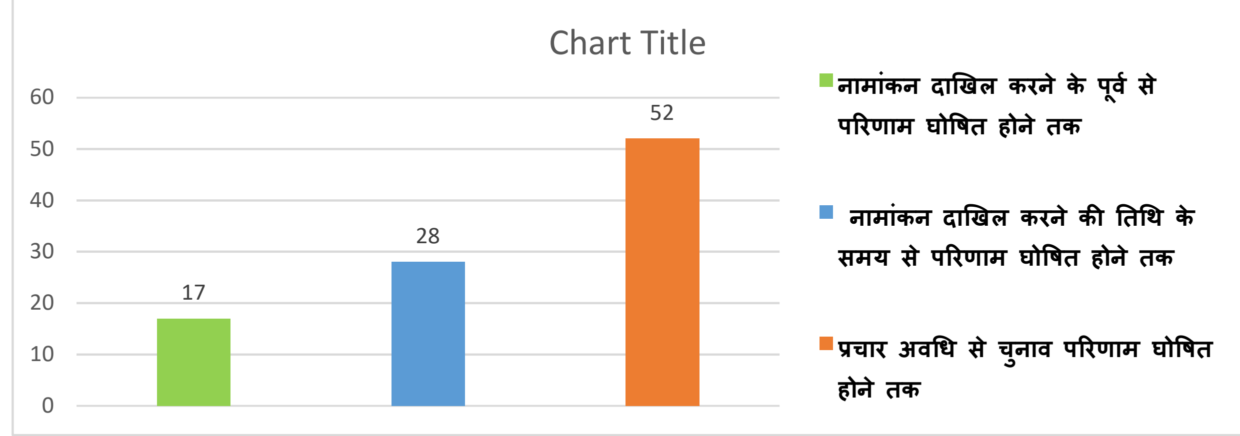

'क्या चुनाव जीतने हेतु मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आपके द्वारा जलपान / खान-पान की कोई व्यवस्था की गई थी ?' इस प्रश्न के जवाब में **73 (65.76%) महिला सरपंचों द्वारा जलपान / खान-पान आदि की व्यवस्था करने** एवं **38 (34.23%) द्वारा जलपान आदि की व्यवस्था नहीं करने** की बात **(तालिका क्र.-11 के अनुसार)** स्वीकार की गई ।

तालिका क्र.-11

चुनाव जीतने हेतु आपके द्वारा जलपान / खान-पान की व्यवस्था	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या
नहीं	**38 (34.23%)**
हां	**73 (65.76%)**
योग	**111 (100%)**

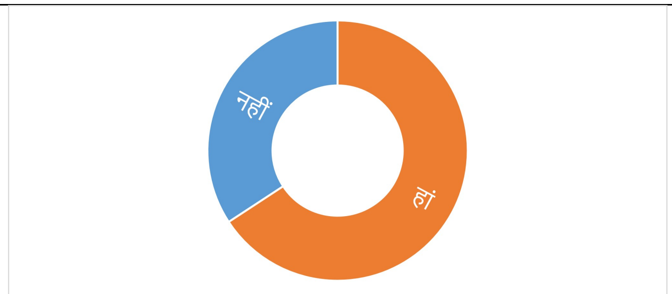

'चुनाव जीतने हेतु मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आपके द्वारा में क्या-क्या जलपान / खान-पान व्यवस्था की गई थी ?' इस प्रश्न के जवाब पर **68 (93.15%) महिला सरपंचों ने माना कि उन्होंने शराब एवं बकरा भात का आयोजन** करवाया था जबकि **05 (6.84%) ने शराब एवं जलपान करवाने** की बात **(तालिका क्र.-12)** कही है।

तालिका क्र.-12

मतदाताओं के लिए आपके द्वारा क्या-क्या जलपान / खान-पान की व्यवस्था की गई	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या
शराब एवं जलपान	**05 (6.84%)**
शराब एवं बकरा भात	**68 (93.15%)**
योग	**111 (100%)**

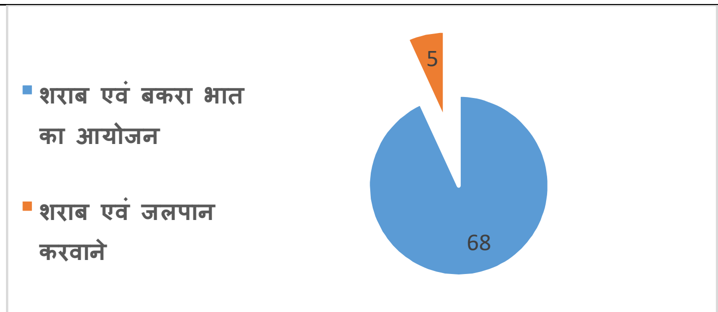

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

इस तरह **बस्तर में त्रिस्तरीय पंचायत की राजनीति में आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप शराब एवं बकरा भात पार्टी का आयोजन चुनाव का एक महत्वपूर्ण प्रभावक कारक** के रूप में सामने आता है। साक्षात्कार के दौरान अनौपचारिक चर्चा में यह बात ज्ञात हुआ कि **कौन प्रत्याशी शराब एवं बकरा भात का पार्टी दे रहा है और मोहल्ले, माजरा या टोलों में आयोजित इस शराब एवं बकरा भात पार्टी से तय होता है कि पूरे समूह का वोट किसे जाएगा। इस तरह बकरा-भात (मटन एवं चावल) पार्टी में वोटो के सामूहिकरण का निर्णय, राजनीतिक समाजीकरण के तथ्य के रूप में सामने आता है।**

चुनाव में कितना खर्च किया गया ? निर्वाचन में धन खर्च करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई सीमा के बारे में पूछने पर किसी भी सरपंच द्वारा जानकारी नहीं होने की बात की गई जबकि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में धन खर्च करने संबंधी आंकड़ों **(तालिका क्र.-13)** का विश्लेषण करें तो 15 महिला सरपंच द्वारा **50000 रूपये से कम**, 38 महिला सरपंच द्वारा **50000 से 100000 रूपये** तक, 33 महिला सरपंच द्वारा **100000 से 150000 रूपये** तक, 12 महिला सरपंच द्वारा **150000 से 200000** रूपये तक और 13 महिला सरपंच द्वारा **200000 से अधिक रूपये** चुनाव में खर्च किया गया।

तालिका क्र.-13

चुनाव में किया खर्च (रूपये में)	उत्तरदाता महिला सरपंचों की संख्या	खर्च करने हेतु धन कहां से आया			चुनाव में किए गए खर्च की वसूली किस तरह से हो रही है	
		पूर्व बचत	उधार लेकर	चुनाव लड़ने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा प्रायोजित किया गया धन	अपने मुख्य व्यापार या कार्य से	पंचायत के कार्यों से मिलने वाले कमीशन
50000 से कम	15	4	8	3	3	11
50000 से 100000	38	7	26	5	9	29
100000 से 150000	33	2	25	6	7	26
150000 से 200000	12	1	9	2	2	10
200000 से अधिक	13	0	10	3	2	13
	111	14	78	19	22	89

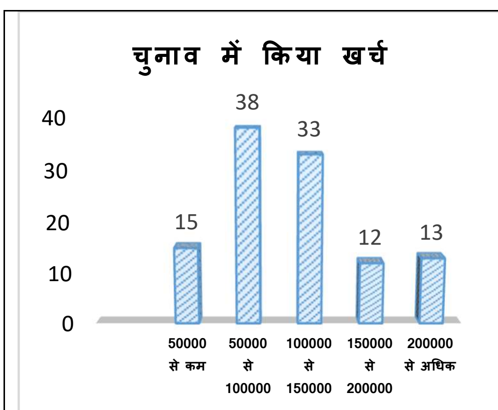

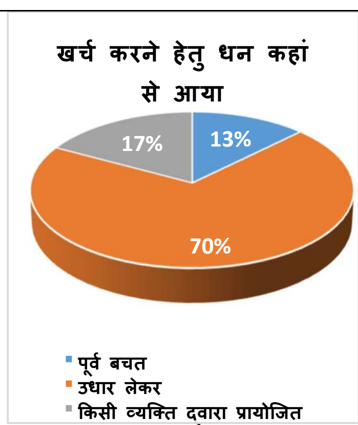

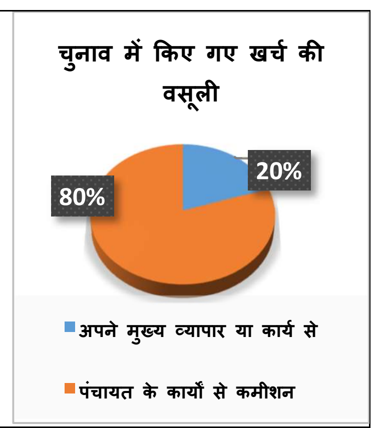

IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

चुनाव में धन खर्च करने हेतु खर्च करने हेतु धन कहां से आया ? इस प्रश्न **पर तालिका क्र.-13 के अनुसार 14 (9.90%) महिला सरपंच द्वारा पूर्व बचत से**, **78 (7..27%) महिला सरपंच द्वारा उधार लेकर** और **19 (17.11%) महिला सरपंच द्वारा चुनाव लड़ने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा प्रायोजित धन से** खर्च किया गया।

चुनाव जीतने वाली 19 आदिवासी महिला सरपंच ऐसे हैं जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए गांव के किसी धनवान व्यक्ति या बाहर के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फंडिंग किया गया। स्वाभाविक है फंडिंगकर्ता द्वारा यह फंडिंग ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने अवैध हितों की प्राप्ति या रक्षा के लिए किया गया है। ऐसे में ग्राम सभा किस तरह से निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त होकर कार्य कर सकती है।

आपके द्वारा किए गए खर्च की वसूली किस तरह से हो पा रही है ? तालिका क्र.-13 के अनुसार इस पर **22 (19.81%) महिला सरपंच ने कहा अपने मुख्य व्यापार या कार्य से** और **89 (80.18%) महिला सरपंच ने कहा कि पंचायत के कार्यों से मिलने वाले कमीशन आदि** द्वारा वसूल कर रही है ।

आय से अधिक खर्च करना - ग्राम पंचायत चुनाव में खर्च करने संबंधी निम्न सारणी **(तालिका क्र.-14)** से स्पष्ट है कि शत प्रतिशत महिला सरपंचों द्वारा अपने आय से अधिक खर्च किया गया है। एक प्रश्न उठता है कि ग्राम पंचायत जैसे छोटे से निर्वाचन में इस तरह से खर्च क्यों किया जाता है? इस खर्च की वसूली भी ग्राम सभा विशेष खर्ची वसूली ग्राम पंचायत विकास कार्यों से ही की जाती है। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए अनाप-शनाप खर्च किया जाता है।

तालिका क्र.-14

वार्षिक आय (रूपये में) ↓	चुनाव में किया खर्च (रूपये में) → / महिला सरपंचों की संख्या ↓	50000 से कम	50000 से 100000	100000 से 150000	150000 से 200000	200000 से अधिक	योग
गरीबी रेखा के नीचे	23	5	8	6	1	3	23
12000 से 20000	09	2	3	1	2	1	9
21000 से 30000	23	3	6	7	3	4	23
31000 से 40000	34	4	14	11	3	2	34
41000 से 50000	21	1	7	8	3	2	21
51000 से अधिक आय	01	0	0	0	0	1	1
योग	111	15	38	33	12	13	111

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि **अधिकांश सरपंच चुनाव जीतने के लिए पैसे का उपयोग करते है, जबकि उनके द्वारा किये गये सेवा कार्य, प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि विशेष मायने नहीं रखती ।** अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हथकंडों का उपयोग जरूरी है, न केवल व्यक्तिगत छवि या सेवा भाव ।

उपरोक्त विश्लेषण **ग्रामीण प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में राजनीतिक अपराध की स्पष्ट रूप रेखा खींचती है, जो महात्मा गांधी के पंचायती राज के 'सुराज' या 'राम राज्य' से सर्वथा विपरित या भिन्न है।** अतः ऐसे पंचायत जो छल एवं बल सेबनी हो, जनता के कल्याण, न्याय एवं भलाई का कार्य नहीं कर सकता और न ही उनसे यह अपेक्षा की जा सकती है।

इस संबंध में **मेरी परिकल्पना कि सुदुर आदिवासी जिला बस्तर की आदिवासी महिला सरपंच बिना किसी अनैतिक हथकंडे को अपनाये निर्वाचित हुई होगी, गलत साबित होती है। आधुनिक सभ्यता से दुर इस आदिवासी समुदाय में भी वर्तमान पतनशील राजनीतिक मूल्यों को अपना लिया है।**

निर्वाचन संबंधी समस्याएं - आदिवासी महिला सरपंचों के निर्वाचन संबंधी व्यवहार के अध्ययन से ग्राम पंचायत एवं इसके निर्वाचन व्यवस्था संबंधी निम्न समस्याएं सामने आती है-

1. ग्राम पंचायत के निर्वाचन कार्य (नामांकन एवं निगरानी) हेतु जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है उनके द्वारा प्रभावी ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता । इसके कारण बकरा भात पार्टी जैसी सामूहिक घटनाएं, शराब एवं उपहार बांटने जैसी घटनाएं खुले आम इन अधिकारियों के नाक के नीचे होती है। इस तरह की घटनाओं के शिकायतों पर भी प्रभारी अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाता है।
2. ग्राम पंचायत का निर्वाचन भी विधानसभा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के लिए निर्वाचन जैसा खर्चीला हो गया है । ग्राम पंचायत की चुनाव में सभी प्रत्याशियों द्वारा अपना से अधिक खर्च किया जाता है। एक ईमानदार और आम आदमी द्वारा चुनाव लड़ कर जीतना असंभव ही है।
3. आदिवासी महिला सरपंच के चुनाव में धन खर्च करने संबंधी निर्वाचकिय व्यवहार से स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत महिला सरपंच द्वारा अपने आय से अधिक खर्च किया गया है। अतः स्वाभाविक है कि इस खर्च की वसूली ग्राम पंचायत के कार्यों के माध्यम से ही की जाएगी। फिर ग्राम पंचायत की पवित्रता- निष्पक्षता का कैसे होगी?
4. बकरा भात (मटन एवं चावल) पार्टी में वोट देने संबंधी सामूहिक निर्णय से मतदान की पवित्रता एवं योग्य -ईमानदार -निष्पक्ष पंच परमेश्वर की धारणा भी नष्ट हो जाता है।
5. निर्वाचन के समय मतदाता का भी केवल एक ही लक्ष्य होता है कि तात्कालिक रूप से उसे कितना उपहार या आर्थिक लाभ की ताप्ती होगी? क्योंकि मतदाता यह सोचता है कि इसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत से केवल कमाएगा और आम आदमी को एक ढेला भी मदद नहीं मिलेगा।

6. ग्राम पंचायत की निर्वाचन में बहुत अधिक खर्च कर चुनाव जीतने के बाद सरपंच द्वारा भी ग्राम पंचायत की सभी कार्यों में कमिशन खोरी की जाती है। स्वाभाविक है इससे ग्राम का विकास एवं निर्माण कार्यो का गुणवत्ताहीन निर्माण गांव के विकास को दशकों के लिए पिछे धकेल देता है।

7. चुनाव लड़ने के लिए गांव के किसी धनवान व्यक्ति या बाहर के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फंडिंग करना गया। स्वाभाविक है फंडिंगकर्ता द्वारा यह फंडिंग ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने अवैध हितों की प्राप्ति या रक्षा के लिए किया गया है।

8. ग्राम पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष कि त्री- स्तरीय पंचायत निर्वाचन के निष्पक्ष संचालन का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की **धारा 42 एवं 42 (क)** के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। संवैधानिक निकाय होने के बाद एवं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियां सिद्धांत पर्याप्त होने के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग के उलट वित्तीय एवं कार्मिक संसाधनों के उपलब्धता की समस्या रहती है। साथ ही निर्वाचन कार्य में संलग्न भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर भी भारतीय निर्वाचन आयोग जैसा प्रभावी नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं रहता है । इस तरह राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक होने के बाद भी दूसरे स्तर की संस्था साबित होती है । पंचायत के निर्वाचन के समय निर्वाचन संबंधी शिकायतों (प्रत्याशियों के अनैतिक निर्वाचन व्यवहार के विरुद्ध, निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रभावी ने ने लेकर कार्यवाही नहीं करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।

9. छत्तीसगढ़ में 2019-20 के ग्राम पंचायतो के निर्वाचन के समय उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। जिससे पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अनैतिक हथकंडे अपनाने हेतु असीमित खर्च करने का वैधानिक अधिकार मिल जाता है।

निर्वाचन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव - ग्राम पंचायत के निर्वाचन संबंधी उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं -

1. पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जिम्मेदार राज्य निर्वाचन आयोग को भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह प्रभावशाली बनना होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग पूर्व में उतना प्रभावशाली साबित नहीं हो रहा था जितना कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन ने उसे साबित किया। पद की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण उस पर पर बैठे व्यक्ति की इमानदारी, निष्ठा, समर्पण उस पद को प्रभावशाली बनाती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग और उसके एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।

2. विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन की तरह त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन में भी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किये जाने वाले खर्च के प्रभावी निगरानी, निरीक्षण, अनुविक्षण एवं शिकायतों पर कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11 ,S Iss 11A, 2022

3. प्रस्तुत शोध पत्र आय से अधिक खर्च कर चुनाव जीतने वाले सरपंच का निर्वाचन रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की व्यवस्था पर विचार कराता है।

4. प्रस्तुत शोध पत्र में सरपंच के निर्वाचकीय व्यवहार से चिन्हित समस्याओं पर ग्रामीण मतदाताओं को जागरुक करने एनजीओ एवं शैक्षणिक संस्थाओं को आगे आने की जरूरत महसुस कराती है ।

5. शैक्षणिक पिछड़ापन एवं गरीबी मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। अतः इस हेतु सरकार के साथ साथ जन सामान्य को भी जागरुकता एवं सुधार हेतु जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता महसूस होती है।

7. विधानसभा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग को भी त्री-स्तरीय पंचायत के सभी पदों पर निर्वाचन हेतु खर्च करने की सीमा तय की जानी चाहिए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पुराने समय में पंच परमेश्वर के न्याय की धारणा' जो गाँव में कार्य कर रही थी, वो इस वर्तमान पंचायती राज की धारणा से मेल नहीं खाती । क्योंकि ऐसे पंचों से न्याय, समाजसेवा, जनता के कल्याण, गाँव के विकास की क्या अपेक्षा की जा सकती है, जो खुद अनैनिक - अपराधिक साधनों का प्रयोग कर निर्वाचित हुए हों। अपने उद्गम स्थल 'निर्वाचन' पर ही जब पंचायती राज दुषित हो तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि ये पंचायतें भ्रष्ट्राचार व भाई भतिजावाद से मुक्त रहकर निष्पक्ष व कल्याणकारी ढंग से कार्य कर सकेंगी। साध्य-साधन की पवित्रता पर निर्भर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महात्मा गांधी के पंचायती राज के सपने को साकार करने की दिशा में ग्राम पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था सुधार हेतु तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

संदर्भ

(1) 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992।

(2) भारत का संविधान', भारत सरकार, विधि एवं व्याय विभाग, नई दिल्ली 1990 ।

(3) मिश्र, देवेन्द्र, पंचायती राज का संगठन एवं कार्य प्रणाली', नई दिल्ली, 1990 ।

(4) छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, धारा 6 एवं 7, डॉ. राधेश्याम द्विवेदी, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल.

(5) नई दुनिया, जांजगीर-चांपा संस्करण 27 दिसंबर 2019 ।